लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स आर्यन कंस्ट्रक्शन, प्रो0: श्री रविन्द्र कुमार सिंह, ग्राम+पो0+थाना–आमस, जिला–गया द्वारा गया मोरहर नदी बालू घाट संख्याः 14, मौजा–चिताब खुर्द, कामत और तेतरिया, अंचल–आमस और शेरघाटी, जिला–गया अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् दिनांक 13.06.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय, शेरघाटी, जिला–गया के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2289/2023, dated 14-02-2023 के आलोक में श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्ता (राजस्व), गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 13.06.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय, शेरघाटी, जिला–गया में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक–1**)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान एवं द टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 11.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गंया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा गया मोरहर नदी बालू घाट संख्याः 14, मौजा–चिताब खुर्द, कामत और तेतरिया, अंचल–आमस और शेरघाटी, जिला–गया के लेसी को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तद्नुसार लेसी के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उदेश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनी प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनी यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री नीरज कुमार, पिताः कृष्णदेव सिंह, ग्राम–कामत शेरघाटी, जिला–गया।	इनके द्वारा रोजगार एवं तापमान बढ़ रहा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहाकार एवं लेसी द्वारा आश्वासन देते हुए बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख–रेख एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरीको को ही उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। साथ ही तापमान के बारे में बताया कि जगह–जगह पानी का व्यवस्था एवं पेड़–पौधो लगाये जायेगे, जिससे स्थानीय नागरीको को परेशानी नही हो। इसप्रकार श्री नीरज कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

2.	श्री कमलेश कुमार, पिताः वाणा प्रसाद यादव, ग्राम–कामत, जिला–गया।	इनके द्वारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उस पर सरकार क्या कारवाई कर रहा है, इस संबंध में प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहाकार द्वारा बताया गया कि यह सुनवाई बालू उत्खनन से संबंधित है, परन्तु पर्यावरण प्रदूषित न हो इस संबंध में बताया कि बालू लदे वाहनों के परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा। साथ ही बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही परिवहन किया जायेगा। इसप्रकार श्री कमलेश कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
3.	श्री अजीत कुमार, पिताः श्री किशोरी सिंह, ग्राम–कामत शेरधाटी, जिला–गया।	इनके द्वारा बालू उत्खनन से पानी का लेयर कम होने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहाकार द्वारा बताया गया कि अगर बालू उत्खनन से पानी का लेयर कम होता है, तो लेसी के द्वारा जगह–जगह पर आवश्यकतानुसार बोरिंग का व्यवस्था किया जायेगा। इसप्रकार श्री अजीत कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
4.	श्री गोपाल जी, पिताः स्व0 रामदास सिंह, ग्राम–आमस, जिला–गया।	इनके द्वारा जिला में पर्यावरण संरक्षण कार्य में जो पैसा आता है, तो उसमें खनन कार्य से प्रभावित क्षेत्र में कितना खर्च किया जाता है; से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी, गया द्वारा बतलाया गया कि पर्यावरण संरक्षण कार्य में जो पैसा आता है वह स्थानीय जन–प्रतिनिधि/माननीय सासंद/माननीय विधायक के द्वारा अनुशांसित कार्यो पर जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार खर्च किया जाता है। जैसाकि खनन कार्य से ग्रामीण सड़क खराब होने पर, नल–जल योजना में, खनन प्रभावित क्षेत्र के विधालयो में खर्च किया जाता है। इसप्रकार श्री गोपाल जी को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

अध्यक्ष द्वारा स्थानीय नागरीकों से पूछा गया कि बालू उत्खनन के कारण नदी में पानी आता है या नही ? इस संबंध में उपस्थित स्थानीय नागरीको द्वारा बताया गया कि कभी–कभी पूर्व में नदी पानी नहीं आता था लेकिन बालू उत्खनन होने के कारण नदी का रास्ता बना है, तत्पश्चात् नदी में पानी आता है। इसप्रकार स्थानीय नागरीको ने अपना जवाब प्रस्तुत किया।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन–सुनवाई के अतं में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीध्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

12.6.23
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, गया

13/6/2023
अपर समाहर्त्ता
गया

उपस्थिति सूची

मेसर्स आर्यन कंस्ट्रक्शन, प्रो0 श्री रविन्द्र कुमार सिंह, ग्राम+पो0+थाना—आमस, जिला—गया द्वारा गया मोरहर नदी बालू घाट संख्याः 14, मौजा—चिताब खुर्द, कामत और तेतरिया, अंचल—आमस और शेरघाटी, जिला—गया का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय, स्वीकृति दिनांकः 13.06.2023 को 02:00 बजे अपराह्न में अंचल कार्यालय, शेरघाटी, जिला—गया मे आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	[illegible]		[illegible] 13/6 [illegible]
2.	Manikanjan Kr Singh	R.O, B.S.P.C. Bi Gaya	M 13.6.23
3.	Sudhir Tiwari	CO, Sherghati	[illegible] 13/6/23
4.	Amresh Kumar SDC cum Incharge 1900	Collectorate Gaya	[illegible] 13/06/23
5.	Amit Kumar M.I	M.I GAYA	[illegible] 13/06/23
6.	Nitish Kumar	~~P&M Solu~~ Cognizance Research India Pvt. Ltd.	Nitish Ku
7.	Gaurav Kumar	Cognizance Research India Pvt Ltd	Gaurav 13/6/23
8.	रंजन कुमार	ममात गया	रंजन कुमार 13-6-023
9.	Ravindra Kumar Singh	Vill+PO+PS-Amas Distt-Gaya	9973211541 Ravindra Kumar Singh

10.	Gopal Jee.	Amas. Gaya. 8210977577	Gopal Jee
11	Komal Kant Kumar	Amas Gaya 8210960251	Komal Kant Kumar
12.	Kamlesh Kumar	vill- Kamat- Post Sherghati Gaya	Kamlesh 9939204823
13.	Niraj Kumar	Vill – Kamat Sherghati	Niraj 7799078396
14.	BABAN Bihari	Vill → ~~Kamat~~ Bhimma. Sherghati Gaya	[signature]
15.	Rajan Kumar	vill. ~~Kamat~~ Chitab Khurdi Sherghati Gaya.	Rajan Kumar
16.	RAJESH KUMAR	vill- Kamat	Rajesh Kumar
17.	Pintu - kumar	Vill - Kamat	Pintu Kumar
18.	Niranjan Kumar	vill Jogapur	Niranjan
19.	Avishek Kumar	vill - Kamat	Avishek Kumar
20.	Sandeep Kumar	Vill- Kamat	Sandeep K.

21.	धनंजय सिंह	कमात	धनंजय सिंह
22.	चन्दन कुमार	कमात	चन्दन कुमार
23.	Ajit Kumar	Vill. Kamat Sherghati	Ajit
24.	राजीव कुमार	कमात	राजीव कुमार
25.	KAMLESH KUMAR	KAMAT.	[illegible]
26.	रविन्द्र पासवान	कमात	रविन्द्र
27.	पवन कुमार सिन्हा	कमात	पवन कुमार सिन्हा
28.	मनोज कुमार सिंह	आमस	मनोज कुमार सिंह
29.	Brajesh Singh	Amas	[illegible]
30.	दिलीप सिंह	समोद बिगहा	[illegible]
31.	[illegible]	[illegible] Amas	[illegible]

Mob- 7903431297

32.	मेघनकुमार	चैनपुरा village	मेघनकुम.
33.	[illegible]	(कामात) village	[illegible]
34.	बद्री चौधरी	चितावखुर्द, ओरमस गया	
35.	अतुल कुमार सिंह	कठार	[illegible]
36.	चंदन कु० सिंह	कठार	Chandan
37.	राजा कुमार	कठार	Raja
38.	Harshwardhan Kr	Kathar	Harsh Kr
39.	Golden Singh	Kathor	Golden Singh
40.	Avinash kumar	Kathar	[illegible]
41.			
42.			